समक्ष सूर्यकांत और पी.बी. से पहले बजंथरी, माननीय न्यायमूर्ति

संगीता सुपेहिया -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं अन्य -प्रतिवादी

2014 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9136

26 अगस्त 2015

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 और 227-पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने ट्यूटर (जैव-सूचना विज्ञान) के एक पद के लिए विज्ञापन दिया - एक पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता एम.एससी. (बायो-टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स/बायो केमिस्ट्री/बायो फिजिक्स)-याचिकाकर्ता का चयन हो गया और वह 03.09.2012 को शामिल हो गईं, प्रतिवादी संख्या 5 ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच के समक्ष चयन को चुनौती दी-कैट ने 5वीं प्रतिवादी सेटिंग के आवेदन की अनुमति दी विज्ञापित योग्यताओं में से एक के अभाव में चयन को दरकिनार करते हुए-याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी-याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई थी और चयन की प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए उसे चयन पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। याचिकाकर्ता-याचिकाकर्ता योग्यता पूरी करते हैं-चूंकि पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की चयन समिति जिसमें आंतरिक विशेषज्ञ शामिल हैं, ने उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए पद के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश की है, उसके चयन और नियुक्ति में कोई कमजोरी नहीं है, प्रतिवादी नंबर 5 ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ट्यूटर (बायो इंफॉर्मेटिक्स)-एमएससी के पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करता है। बायो इंफॉर्मेटिक्स में यह भर्ती नियमों या विज्ञापन में निर्धारित नहीं है। चयन प्राधिकारी को आवश्यक योग्यता के अभाव में याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। रिट याचिका का निपटारा यह मानते हुए किया गया कि इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। ट्रिब्यूनल के आदेश के साथ.

अभिनिर्धारित किया गया कि कि पीजीआईएमईआर ने भर्ती नियमों में संशोधन का सहारा लिए बिना याचिकाकर्ता की योग्यता अर्थात एम.एससी. पर विचार किया है। जैव सूचना विज्ञान में चयन एवं नियुक्ति हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यता की अनदेखी करते हुए। सबसे पहले, याचिकाकर्ता आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करने के कारण इस पद के लिए आवेदन जमा नहीं कर सकी। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने एम.एससी. के स्कोर पर पद के लिए आवेदन किया था। बायो इंफॉर्मेटिक्स एमएससी के आंतरिक विषयों में से एक जैव प्रौद्योगिकी है। फिर भी चयन प्राधिकरण को आवेदनों की जांच करते समय आवश्यक योग्यता के अभाव में उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देना चाहिए था। हालाँकि, साक्षात्कार और चयन या नियुक्ति के समय भी, पीजीआईएमईआर ने विज्ञापन के साथ भर्ती के नियमों में निर्धारित आवश्यक योग्यता पूरी तरह से उत्तीर्ण कर ली है। नतीजतन, चयन समिति ने भले ही वे इस विषय में विशेषज्ञ हों, लेकिन पात्रता के मौलिक मुद्दे को देखने में गलती की। विशेषज्ञ चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले भर्ती के नियमों में संशोधन करने का सुझाव दे सकते थे जो एक खेल की तरह है और खेल के बीच में चयन समिति या चयन प्राधिकरण भर्ती और विज्ञापन के नियमों में निर्धारित योग्यता को सम्मिलित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, चयन प्राधिकरण ने चयन की प्रक्रिया में छेड़छाड़ की है, इसलिए अधिकरण के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए प्रारंभिक तर्कों में से एक यह है कि एक असफल उम्मीदवार चयन को चुनौती नहीं दे सकता है। उक्त सिद्धांत उन कारणों से यह में मामले पर लागू नहीं होता है कि चयन प्रक्रिया अर्थात में एक पेटेंट अवैधता प्रतिबद्ध है। आवश्यक योग्यता को नजरअंदाज करना। 5म उत्तरदाता पूर्व-अनुमान नहीं लगा सकता था कि आवश्यक योग्यता की कमी वाले उम्मीदवारों पर भी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार के लिए ऐसी स्थिति में चयन को चुनौती देने की अनुमति है क्योंकि अधिकारियों के चयन/नियुक्ति में मनमानेपन के लिए कोई जगह नहीं है। वर्तमान की तरह पेटेंट अनियमितताओं के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा उचित होगी। भर्ती नियमों से बचा नहीं जा सकता है और कार्यकारी या चयन प्राधिकरण के पास पद को नियंत्रित करने वाले भर्ती नियमों के संदर्भ में कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चयन और नियुक्ति करते समय भर्ती नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(Para 12)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि लोक सेवा आयुक्त, उत्तरांचल बनाम जगदीश चंद्र सिंह बोरा और 2014 (8) एस. सी. सी. 644 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कार्यकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं। वर्तमान मामले में कार्यकारी आदेश भी अपने दम पर पारित नहीं किया गया है, चयन समिति ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्णय लिया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है।

(Para 19)

आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उनकी नियुक्ति के आधार पर वह लगभग 3 साल से काम कर रही हैं और यह एक मामला है कठिनाई के कारण, वह सेवा में बनी रहती है। इसलिए उसके चयन को बरकरार रखा जाए। D.M. के मामले में सुप्रीम कोर्ट। प्रेम कुमारी बनाम डिवीजनल कमिश्नर, मैसूर डिवीजन और अन्य ने 2009 (12) एससीसी 267 में रिपोर्ट की जो इस प्रकार थीः- "15)" कानून निर्दयी है ", एक सबसे अधिक बार उद्धृत कहावत है।

इसने लोगों को गलती से यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि यह धार्मिकता की भावनाओं से अलग है। हम इस समझ के आदी हो गए हैं कि क्रोध, दुःख और करुणा जैसी भावनाएँ कानूनी मामलों में मौजूद नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से न्यायपालिका में नहीं। हमारी दृष्टि में यह एक गलत समझ है। न्यायपालिका में न्याय की बहुत मजबूत भावना है और यह सामाजिक न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए काम करती है। हम जल्दबाजी में कहते हैं, न्यायपालिका गलत सहानुभूति में विश्वास नहीं करती है।

(Para 20)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमें अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

हम पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को निर्देश देते हैं कि वह इस पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता के संदर्भ में ट्यूटर (बायो-इंफॉर्मेटिक्स) के पद पर फिर से चयन करे और इसलिए 09.07.2012 को दिए गए साक्षात्कार के अंक भी। दूसरे शब्दों में, जो उम्मीदवार आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं, उनके नामों पर पुनर्विचार किया जाए और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर योग्य उम्मीदवार का चयन और नियुक्ति की जाए।

(Para 21)

याचिकाकर्ता के वकील संदीप मौदगिल

अमित झामजी, PGI G.S के लिए अधिवक्ता। बल, सेवा सिंह के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर. 5 के लिए अधिवक्ता।

P.B. बजन्तरी, माननीय न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता ने O.A. में पारित 11.04.2014 के आदेश पर सवाल उठाया है। नं. 1350/सीएच/2012 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (संक्षेप में 'अधिकरण') चंडीगढ़ पीठ द्वारा, जिसके द्वारा 5वें प्रत्यर्थी के आवेदन को अनुमति दी गई थी।

(2) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (संक्षेप में 'पीजीआईएमईआर') ने Rs. 9300-34800/- के वेतनमान में ट्यूटर (बायो-इंफॉर्मेटिक्स) के एक पद को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया। के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता पोस्ट M.Sc है। (बायो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स/बायो केमिस्ट्री/बायोफिजिक्स) विज्ञापन No.F-04/2010-Estt.I (2) के माध्यम से, जिसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.10.2010 थी।

(3) याचिकाकर्ता और 5 वें प्रतिवादी अन्य लोगों के बीच ट्यूटर (बायो इंफॉर्मेटिक्स) के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार थे। 09.07.2012 को याचिकाकर्ता और 5वें प्रतिवादी सहित 22 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 14 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। चयन और नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की गई थी, इसलिए एक श्री। प्रतीक्षा सूची उम्मीदवार के रूप में विकास शर्मा का नाम रखा गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार 18 उम्मीदवारों ने M.Sc की योग्यता के साथ आवेदन किया। उनके सहित जैव-सूचना विज्ञान में। याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया और बायोइन्फॉर्मेटिक्स w.e.f. में ट्यूटर के पद के लिए चुना गया। 28.08.2012. उसी के अनुसरण में वह 03.09.2012 को सेवा में शामिल हुई।

(4) 5वें प्रत्यर्थी ने अक्टूबर 2012 के महीने में अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता के चयन को चुनौती दी। 11.04.2014 को, न्यायाधिकरण ने 5वें प्रत्यर्थी के आवेदन को विज्ञापित योग्यता में से एक के अभाव के लिए याचिकाकर्ता के चयन को अलग करते हुए अनुमति दी। इसलिए यह रिट याचिका है।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अधिकरण ने वचन-बहिष्कार के सिद्धांत पर विचार नहीं करने में गलती की क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 5 साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई थी और चयन की प्रक्रिया में भाग लिया था, इसलिए उसे याचिकाकर्ता के चयन पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। चयन समिति ने याचिकाकर्ता की योग्यता अर्थात् M.Sc पर विचार किया। विज्ञापन में अधिसूचित लोगों के समकक्ष जैव सूचना विज्ञान में। इसलिए, 5वें प्रत्यर्थी का यह तर्क कि याचिकाकर्ता विज्ञापन के अनुसार पद के लिए योग्यता को पूरा नहीं करता है, मान्य नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्यूटर (बायो इंफॉर्मेटिक्स) का पद याचिकाकर्ता जैसे योग्य व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जाना है क्योंकि वह M.Sc में योग्य है। जैव सूचना विज्ञान. M.Sc. जैव प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में जैव-सूचना विज्ञान विषय शामिल हैं। जबकि 5 वां उत्तरदाता M.Sc के साथ योग्य है। बायो केमिस्ट्री जो M.Sc., बायो-इंफॉर्मेटिक्स से कम योग्यता है। चूंकि पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ की चयन समिति, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता और उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए आंतरिक विशेषज्ञ शामिल थे, ने इस पद के लिए याचिकाकर्ता की सिफारिश की थी, इसलिए उनके चयन और नियुक्ति में

कोई कमी नहीं है। नतीजतन, न्यायाधिकरण पीजीआईएमईआर की चयन समिति की सिफारिशों की सराहना करने में विफल रहा। (6) इसके विपरीत, 5वें प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ट्यूटर (जैव सूचना विज्ञान) के पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करता है। निर्धारित आवश्यक योग्यता M.Sc है। (बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स/बायोकेमिस्ट्री/बायो फिजिक्स) उसने आगे तर्क दिया कि वह M.Sc है। जैव रसायन में।
उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि याचिकाकर्ता विचाराधीन पद के लिए निर्धारित किसी भी आवश्यक योग्यता के साथ योग्य नहीं है। दूसरी ओर, M.Sc. जैव सूचना विज्ञान में भर्ती नियमों या विज्ञापन में निर्धारित नहीं है। याचिकाकर्ता निर्धारित आवश्यक योग्यता के संदर्भ में पद के लिए पात्र नहीं है, इसलिए उसे पद के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए था।
इसके अलावा चयन प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के आवेदन को अनिवार्य योग्यता की कमी के कारण खारिज कर देना चाहिए था। यहां तक कि नियुक्ति प्राधिकरण को भी आवश्यक योग्यता के अभाव में संबंधित पद के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर देना चाहिए था। 5वें प्रत्यर्थी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण ने O.A. को अनुमति देते हुए याचिकाकर्ता के प्रत्येक विवाद पर विचार किया है। नतीजतन, न्यायाधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और यह योग्यता के आधार पर तय किया गया है, इसलिए इस रिट याचिका को खारिज किया जाना है।

(7) प्रत्यर्थी नं. 2 और 3 ने उचित रूप से प्रस्तुत किया कि भले ही ट्यूटर (बायो इंफॉर्मेटिक्स) के पद के लिए आवश्यक योग्यता M.Sc है। (बायो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स/बायो केमिस्ट्री/बायो फिजिक्स) हालांकि, चयन समिति ने याचिकाकर्ता की योग्यता पर विचार किया और उसे चुना, हालांकि वह आवश्यक योग्यता में से एक को पूरा नहीं करती थी, क्योंकि याचिकाकर्ता की योग्यता की पद के लिए कुछ प्रासंगिकता है। चयन समिति ने एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते याचिकाकर्ता का चयन सही किया है। इसलिए, चयन या उनकी नियुक्ति में कोई कमजोरी नहीं है। न्यायाधिकरण डीन, पीजीआईएमईआर और अन्य विशेषज्ञों वाली चयन समिति के निर्णय की सराहना करने में विफल रहा और न्यायाधिकरण और अदालतें विशेषज्ञों के निर्णयों पर नहीं बैठ सकती हैं।

(8) हमने पार्टियों को सुना है और रिकॉर्ड को देखा है।

(9) पीजीआईएमईआर ने 20.09.2010 को विज्ञापन जारी कर अन्य विभिन्न पदों के साथ ट्यूटर (बायो-इंफॉर्मेटिक्स) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। विज्ञापन का एक अंश यहां प्रस्तुत किया गया हैः- पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ स्थापना शाखा-I फोन

0172-2755504,2755510विस्तृत जानकारी शीट में गुणवत्ता अनुभव, आयु सीमा, वेतनमान इत्यादि की जानकारी दी गई है। विज्ञापन संख्या 04/2010/Estt. I के माध्यम से पोस्ट विज्ञापन के संबंध में
(2) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.10.2010 है।
ट्यूटर (बायो-इंफॉर्मेटिक्स) स्केल Rs. 9300-34800 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ Rs.4200/- आयु सीमा 50 वर्ष तक
आवश्यक M.Sc. बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स/बायोकेमिस्ट्री/बायोफिजिक्स।
(10) मुख्य प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता जिसे ट्यूटर (बायो-इंफॉर्मेटिक्स) के पद पर चुना और नियुक्त किया गया था, उसके पास M.Sc नामक पदों के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यताएं हैं। (बायो टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स/बायो केमिस्ट्री/बायो फिजिक्स)
आवश्यक योग्यता भर्ती नियमों के संदर्भ में है जिसे अनुलग्नक आर/2-1 भर्ती नियमों के रूप में प्रस्तुत किया गया है
1. शिक्षक पद का नाम (Bio-Informatics)
2. पद एक की संख्या(1)
3. विभाग की संख्याः प्रायोगिक चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी
4. वर्गीकरण समूह "बी"
5. वेतनमान Rs. 9300-34800 Rs.4200/- के सामान्य ग्रेड के साथ
6. सीधी भर्ती द्वारा 100% भर्ती का तरीका
7. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमाः 50 वर्ष
8. प्रत्यक्ष भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य M.Sc योग्यताः (जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान मानव, जीनोमिक्स/जैव रसायन/जैव भौतिकी)

(11) ट्यूटर के पद के लिए निर्धारित आवश्यक शिक्षा योग्यता की जांच के उद्देश्य से भर्ती नियम निकाले गए हैं। (Bio-Informatics).

(12) M.Sc. याचिकाकर्ता के पास जैव-सूचना विज्ञान में ट्यूटर (जैव-सूचना विज्ञान) के पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता में से एक नहीं है दूसरी ओर 5 वां उत्तरदाता M.Sc नामक आवश्यक योग्यता को पूरा करता है। (Bio Chemistry). इस पृष्ठभूमि में क्या याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार विज्ञापन के साथ भर्ती के नियमों के अनुसार है या नहीं। पीजीआईएमईआर ने भर्ती नियमों में संशोधन का सहारा लिए बिना याचिकाकर्ता की योग्यता M.Sc पर विचार किया है। निर्धारित आवश्यक योग्यता की अनदेखी करते हुए चयन और नियुक्ति के उद्देश्य से जैव सूचना विज्ञान में। सबसे पहले, याचिकाकर्ता

इन कारणों से पद के लिए आवेदन जमा नहीं कर सकी कि वह आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं करती है। यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने M.Sc के स्कोर पर पद के लिए आवेदन किया था। बायोइन्फॉर्मेटिक्स M.Sc के आंतरिक विषयों में से एक है। जैव प्रौद्योगिकी। फिर भी चयन प्राधिकरण को आवेदनों की जांच करते समय आवश्यक योग्यता के अभाव में उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देना चाहिए था। हालाँकि, साक्षात्कार और चयन या नियुक्ति के समय भी, पीजीआईएमईआर ने विज्ञापन के साथ भर्ती के नियमों में निर्धारित आवश्यक योग्यता पूरी तरह से उत्तीर्ण कर ली है। नतीजतन, चयन समिति ने भले ही वे इस विषय में विशेषज्ञ हों, लेकिन पात्रता के मौलिक मुद्दे को देखने में गलती की। विशेषज्ञ चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले भर्ती के नियमों में संशोधन करने का सुझाव दे सकते थे जो एक खेल की तरह है और खेल के बीच में चयन समिति या चयन प्राधिकरण भर्ती और विज्ञापन के नियमों में निर्धारित योग्यता को सम्मिलित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में, चयन प्राधिकरण ने चयन की प्रक्रिया में छेड़छाड़ की है, इसलिए अधिकरण के आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए प्रारंभिक तर्कों में से एक यह है कि एक असफल उम्मीदवार चयन को चुनौती नहीं दे सकता है। उक्त सिद्धांत उन कारणों से हाथ में मामले पर लागू नहीं होता है कि चयन प्रक्रिया i.e में एक पेटेंट अवैधता प्रतिबद्ध है। आवश्यक योग्यता को नजरअंदाज करना। 5वें प्रत्यर्थी को पहले यह नहीं लगता था कि आवश्यक योग्यता की कमी वाले उम्मीदवारों पर भी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। एक असफल उम्मीदवार के लिए ऐसी स्थिति में चयन को चुनौती देने की अनुमति है क्योंकि अधिकारियों के चयन/नियुक्ति में मनमानेपन के लिए कोई जगह नहीं है। वर्तमान की तरह पेटेंट अनियमितताओं के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा उचित होगी। भर्ती नियमों से बचा नहीं जा सकता है और कार्यपालक या चयन प्राधिकारी के पास पद को नियंत्रित करने वाले भर्ती नियमों के संदर्भ में कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चयन और नियुक्ति करते समय भर्ती नियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

(13) उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकारी के पास योग्यता में ढील देने की कोई शक्ति नहीं है। शैंदा हसन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [1]में दिए गए निर्णय का एक उद्धरण इस प्रकार हैः-"5. उच्च न्यायालय ने चयन समिति द्वारा दी गई छूट को मनमाना माना है। छूट की शक्ति प्रदान करने वाले वैधानिक नियमों के अभाव में, विज्ञापन में यह संकेत दिया जाना चाहिए कि चयन समिति/नियुक्ति प्राधिकरण के पास योग्यता में ढील देने की शक्ति है। "उर्दू के कार्य ज्ञान" के संबंध में हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि उक्त योग्यता अन्यायपूर्ण है। कॉलेज एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते जो प्राचार्य के पद के लिए उक्त योग्यता निर्धारित करता है, संस्थान की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है।

[1] (1990)3 SCC 48

(14) इसी तरह डॉ प्रीत सिंह बनाम श्री S.K के रूप में शीर्षक वाले मामले में। मंगल और अन्य[2] उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः-"13. हम यह समझने में विफल हैं कि कुलपति, जो स्वयं इस राय के थे कि अपीलार्थी के पास प्राचार्य के पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी और जिन्होंने उक्त नियुक्ति को अनुमोदित करने से इनकार कर दिया था, ने बाद में उसी नियुक्ति को 13 नवंबर, 1987 को 16 अक्टूबर, 1987 से अनुमोदित किया। प्रत्यर्थियों की ओर से यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि कुलपति ने 15 अक्टूबर, 1987 के बाद नियुक्ति को मंजूरी दी, जब किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य के पद के लिए निर्धारित योग्यता में संशोधन किया गया था। यदि वह कुलपति के अनुमोदन के अधीन प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किए जाने की तारीख को निर्धारित योग्यता के संदर्भ में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था, तो बाद में वह पद के लिए योग्यता में संशोधन के बाद पात्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम सहमत हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि नियुक्ति की तारीख को अपीलार्थी के पास अपेक्षित अर्हताएं नहीं थीं और इस प्रकार उसकी नियुक्ति को निरस्त किया जाना था।

(15) रविंदर शर्मा (श्रीमती) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय। और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य[3] ने अभिनिर्धारित किया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार उम्मीदवार के पास पद के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। फैसले का एक अंश यहां प्रस्तुत किया गया हैः- "12. अपीलार्थी को सीधे नियुक्त किया गया था। ऐसे मामले में, योग्यता या तो होनी चाहिएः

i) स्नातक/इंटरमीडिएट द्वितीय श्रेणी या

ii) मैट्रिक प्रथम श्रेणी।

निश्चय ही अपीलार्थी के पास यह योग्यता नहीं थी। ऐसा होने पर, नियुक्ति खराब है। आयोग ने विनियमों के विनियम 7 के तहत योग्यता में छूट के लिए सरकार से सिफारिश की। सरकार ने उस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। अतः, जहां नियुक्ति स्पष्ट रूप से विनियमन 7 के विरुद्ध थी, वहां यह निर्धारित किए जाने के लिए उत्तरदायी थी।

ऐसा होने पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा।

हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

(16) अध्यक्ष, लोक सेवा आयुक्त, जे एंड के बनाम सुदर्शन सिंह जामवाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय[4] यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेशों या नियमों की अधिसूचना जारी करने के लिए विनियमन

---

[2] 1992(5) SLR 79

[3] (1995)1 SCC 138

[4] 1998(9) SCC 327

वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में होगा। फैसले का एक अंश यहां प्रस्तुत किया गया हैः- "3. संपत प्रकाश के मामले में निर्णय, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के लागू होने की बात करता है।
सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि जहां किसी केंद्रीय अधिनियम या विनियमन द्वारा अधिसूचना, आदेश, नियम या उपनियम जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, तो उस शक्ति में एक शक्ति शामिल है, जो समान तरीके से प्रयोग की जा सकती है और समान मंजूरी और शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन किसी भी अधिसूचना को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने के लिए।इस प्रकार जारी किए गए आदेश, नियम या उपनियम। वह आदेश, जिस पर प्रथम प्रत्यर्थी ने भरोसा किया था, स्वयं उच्च न्यायालय के अनुसार, राज्य सरकार की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में जारी किया गया था, जिसका अर्थ है, जाहिरा तौर पर, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 से प्राप्त शक्ति। यह आदेश उक्त नियमों को बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किया गया था और शक्ति का प्रयोग समान तरीके से और समान मंजूरी और शर्तों के अधीन नहीं किया गया था जो उक्त नियमों को बनाने के लिए संचालित थे। अतः, संपत प्रकाश (ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 118) के मामले में निर्णय पर निर्भरता गलत थी और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 पर भी निर्भरता गलत थी। इसलिए छूट आदेश पहले प्रतिवादी को भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने का अधिकार नहीं देता था।
(17) उड़ीसा लोक सेवा आयोग और एक अन्य बनाम रूपश्री चौधरी और अन्य[5] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चयन प्राधिकारी को कानून से बहस नहीं करनी चाहिए। फैसले का अंश इस प्रकार हैः-
"13. जब एक क़ानून के शब्द स्पष्ट, सादे या असंदिग्ध होते हैं, i.e., वे केवल एक अर्थ के लिए यथोचित रूप से अतिसंवेदनशील होते हैं, तो अदालतें परिणामों के बावजूद उस अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य होती हैं, क्योंकि अधिनियम अपने लिए बोलता है। नियम 24 की भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है जो दो निष्कर्षों की ओर ले जाती है और प्रत्यर्थी के पक्ष में एक व्याख्या की अनुमति देती है जो क़ानून द्वारा किए गए उद्देश्य से अलग होगी। इसलिए, विचाराधीन नियमों के नियम 24 की स्पष्ट और स्पष्ट भाषा को देखते हुए कुल अंकों को पूरा करने की अनुमति नहीं है।

(18) गुजरात राज्य और अन्य बनाम अरविंद कुमार टी. तिवारी और अन्य[6] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-"11. एक व्यक्ति जिसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, वह इस कारण से भर्ती के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता है कि उसकी नियुक्ति वैधानिक नियमों के विपरीत होगी, और इसलिए, कानून में अमान्य होगी। पद के लिए पात्रता की कमी को किसी भी स्तर पर

[5] 2011(8) SCC 108
[6] (2013)1 SCT117

ठीक नहीं किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना गंभीर अवैधता होगी, न कि केवल अनियमितता।

ऐसा व्यक्ति किसी भी राहत के लिए अदालत से संपर्क नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है जिसे अदालत के माध्यम से लागू किया जा सके। (देखें: प्रीत सिंह बनाम S.K.) मंगल और अन्य, 1992 (3) S.C.T. 738: 1993 (1) एससीसी (सप.) 714; और प्रमोद कुमार बनाम U.P. माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और अन्य, 2008 (2) S.C.T. 699: एआईआर 2008 एससी 1817) "

(19) लोक सेवा आयुक्त, उत्तरांचल बनाम जगदीश चंद्र सिंह बोरा और अन्य[7] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कार्यकारी आदेश संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं। वर्तमान मामले में कार्यकारी आदेश भी अपने दम पर पारित नहीं किया गया है, चयन समिति ने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्णय लिया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है। फैसले का एक अंश यहां प्रस्तुत किया गया है:-

"28. हालांकि, हम श्री C.U द्वारा की गई प्रस्तुति में पदार्थ पाते हैं। सिंह ने कहा कि 2004 के स्पष्टीकरण से 2003 के नियमों में संशोधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। निस्संदेह, 2004 का स्पष्टीकरण केवल एक कार्यकारी आदेश है। यह कानून का तय प्रस्ताव है कि कार्यकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों का स्थान नहीं ले सकते हैं। इस तरह के कार्यकारी आदेश/निर्देश केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों के पूरक हो सकते हैं। श्री C.U के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने के बावजूद। सिंह ने कहा कि 29 अप्रैल, 2004 को दिए गए स्पष्टीकरण से 2003 के नियमों को निरस्त, संशोधित या परिवर्तित करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; उत्तरदाताओं को कोई राहत देना संभव नहीं होगा। 2003 के नियमों के तहत मानदंड भविष्य की सभी भर्तियों को नियंत्रित करते हैं। हम पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि 2001 के नियमों के तहत उत्तरदाताओं, प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। हम श्री C.U की प्रस्तुति को स्वीकार नहीं करते हैं। सिंह ने कहा कि उत्तरदाताओं (प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं) के दावे को 2003 के नियमों द्वारा किए गए तथाकथित संशोधन के आधार पर 2001 के नियमों के तहत शामिल किया जाएगा। उनकी राय है कि उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है, पहला, यह अभिनिर्धारित करने में कि 2003 के नियम लागू हैं, और दूसरा, इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए कि निर्णय दिए जाने तक सभी पदों को भर दिया गया था।

[7] 2014(8) SCC 644

(20) याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उसकी नियुक्ति के आधार पर वह लगभग 3 वर्षों से काम कर रही है और यह कठिनाई का कारण है, उसे सेवा में जारी रखा जाना चाहिए। इसलिए उसके चयन को बरकरार रखा जाए। D.M. के मामले में सुप्रीम कोर्ट। प्रेम कुमारी बनाम डिवीजनल कमिश्नर, मैसूर डिवीजन और अन्य[8] निम्नलिखित रूप में आयोजित किए गए:-

"15)" कानून निर्दयी है ", एक सबसे अधिक बार उद्धृत कहावत है। इसने लोगों को गलती से यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि यह धार्मिकता की भावनाओं से अलग है। हम इस समझ के आदी हो गए हैं कि क्रोध, दुःख और करुणा जैसी भावनाएँ कानूनी मामलों में मौजूद नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से न्यायपालिका में नहीं। हमारी दृष्टि में यह एक गलत समझ है। न्यायपालिका में न्याय की बहुत मजबूत भावना है और यह सामाजिक न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए काम करती है। हम जल्दबाजी में कहते हैं, न्यायपालिका गलत सहानुभूति में विश्वास नहीं करती है।

(21) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हम पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को निर्देश देते हैं कि वह इस पद के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता के संदर्भ में ट्यूटर (बायो-इंफॉर्मेटिक्स) के पद पर फिर से चयन करे और इसलिए 09.07.2012 को दिए गए साक्षात्कार के अंक भी। दूसरे शब्दों में, जो उम्मीदवार आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं, उनके नामों पर पुनर्विचार किया जाए और आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर योग्य उम्मीदवार का चयन और नियुक्ति की जाए।

(22) तदनुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कि सी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं कि या जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पीयूष चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

[8] 2009(12) SCC 267

जगाधरी, हरियाणा